दिनांक 29.06.2016 को उपायुक्त, हजारीबाग की अध्यक्षता में बड़कागांव प्रखण्ड में आयोजित मुखिया, पंचायत समिति के सदस्यों के साथ आहूत बैठक की कार्यवाही।

उक्त बैठक में उप विकास आयुक्त, हजारीबाग, निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, हजारीबाग, जिला परिवहन पदाधिकारी सह-सहायक नोडल पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बड़कागांव, अंचल अधिकारी, बड़कागांव, प्रमुख, बड़कागांव एवं अन्य जन प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

सर्वप्रथम उपायुक्त ने बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों से परिचय प्राप्त किया।

यह निदेश दिया गया कि बहुत सारे जन प्रतिनिधि प्रथम बार चुन कर आये हैं और कुछ दुबारा चुनकर आये होंगे। अनुभवी जन प्रतिनिधि अपने अनुभव से युवा वर्ग को मार्गदर्शन दें ताकि आपके अनुभवों का लाभ युवा वर्ग को मिले। जनप्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्र का निरन्तर भ्रमण कर अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत होकर उन समस्याओं के समाधान हेतु प्रयास करें। अपने कार्यो के प्रति ईमानदारी बरतें। जब भी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, वरीय पदाधिकारी आपके क्षेत्रों में भ्रमण में जाते है तो उनके अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत करावें। अपनी जिम्मेवारी समझकर कार्यो का निष्पादन करें। यह सूचित किया गया कि सरकार द्वारा विकास एवं कल्याणकारी योजना संचालित की गई है, इसका लाभ सभी तबके के लोगों को मिले इसका प्रयास जनप्रतिनिधि सुनिश्चित करें।

यह निदेश दिया गया कि विधवाओं, वृद्धों विकलांगों आदि को समय पर पेंशन का भुगतान किया जा रहा है या नहीं उसकी जानकारी जनप्रतिनिधि प्राप्त करें। यदि सुयोग्य व्यक्ति को पेंशन नहीं मिलता तो उन्हें पेंशन दिलाने की कार्रवाई करें। जनप्रतिनिधियों ने बताया कि बहुत से पेंशनधारियों का आवेदन भेजा गया है परन्तु उसकी स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

अंचल अधिकारी, बड़कागांव ने सूचित किया कि एक माह पूर्व उन्होंने योगदान दिया है तभी से विधवाओं को प्राथमिकता के आधार पर पेंशन दिलाने की कार्रवाई की जा रही है।

अंचल अधिकारी पेंशन से संबंधित आवेदन को एक सप्ताह के अन्दर अनुमण्डल पदाधिकारी पदाधिकारी को भेजना सुनिश्चित करेंगे। अनुमण्डल पदाधिकारी प्राप्त आवेदनों का निस्तार 15 दिनों के अन्दर सामाजिक सुरक्षा कोषांग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। सामाजिक सुरक्षा कोषांग पन्द्रह दिनों के अन्दर सारी प्रकिया पूर्ण कर सुयोग्य लाभुकों को पेंशन भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अंचल अधिकारी प्रत्येक शुक्रवार को पेंशन संबंधी कैम्प 11.00 बजे पूर्वाह्न् से 01.00 बजे अपराह्न् तक लगाना सुनिश्चित करेंगे।

जनप्रतिनिधियों ने बताया कि पूर्व में मृत व्यक्तियों का मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं रहने के कारण उन परिवारों का सामाजिक सुरक्षा का आवेदन स्वीकृत नहीं

किया जा रहा है तथा अन्य योजनाओं ने बंचित है। जन प्रतिनिधियों को निदेश दिया कि वे स्वयं ही मृत्यु प्रमाण सत्यापित कर आवेदन को अंचल कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करेंगे जिसे संबंधित राजस्व कर्मी स्थल भ्रमण के क्रम में सत्यापित कर अंचल अधिकारी को सूचित करेंगे, जिसके आलोक में निर्णय लिया जा सकेगा।

जन प्रतिनिधियों ने बताया कि खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत बहुत से लाभुकों का नाम रद्द कर दिया गया है तथा सुयोग्य लाभुकों का नाम नहीं जोड़ा जा रहा है। जन प्रतिनिधियों ने बताया कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है कि किन-किन लाभुकों को इस सूची में शामिल किया गया है उसकी सूची उपलब्ध कराई जाय।

इस संबंध में प्रतिनिधियों को बताया गया कि आप स्वयं इस सूची का अवलोकन कर देख लें कि कौन-कौन लाभुक सुयोग्य है एवं कौन अयोग्य? अयोग्य व्यक्तियों की सूची बनाकर भेजना सुनिश्चित करें ताकि उनका नाम हटाया जा सके। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश है कि प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी से समन्वय बनाकर 15 दिनों के अन्दर सभी जन वितरण प्रणाली के दुकानों में लाभुकों की सूची अंकित कराकर उसकी फोटोग्राफी कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को भेजना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही प्रखण्ड में डीलरवाईज लाभूकों की सूची संधारित करें। जो भी प्रतिनिधि उसे देखना या छाया प्रति प्राप्त करना चाहते है उन्हें उपलब्ध करायें।

बैठक में पाया गया कि अधिकतर जनप्रतिनिधियों के पास स्वयं का शौचालय नहीं है, वे इसका निर्माण कराना सुनिश्चित करें। सूचित किया गया कि ग्रामों में शौचालय का निर्माण मुखिया, जलसहिया, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के माध्यम से करायें परंतु श्रेष्ठ होगा कि लाभुक स्वयं शौचालय का निर्माण कर सकते है। सूचित किया गया कि शौचालय निर्माण हेतु 12,000/-(बारह हजार रूपये) की राशि उपलब्ध कराई जायेगी। शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण कर लाभुक उसका फोटोग्राफ देकर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से व्यय की गई राशि प्राप्त कर सकते हैं। जनप्रतिनिधियों को निदेश दिया गया कि शौचालय निर्माण हेतु व्यक्तियों को नामित करें ताकि उन्हें प्रशिक्षण दिलाया जा सके।

जिला परिवहन पदाधिकारी-सह-सहायक नोडल पदाधिकारी ने शौचालय निर्माण से संबंधित सभी जानकारियों से जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया। साथ ही इसके सफल कियान्वयन हेतु लोगों को जागरूक कर शौचालय निर्माण पर बल दिया।

शौचालय निर्माण हो जाने से प्रखण्ड स्वच्छ रहेगा तथा महिलाएं भी अपने आपको सुरक्षित महसूस करेंगी। उन्होंने चमकता चुरचू की तरह बदलता बड़कागांव प्रखण्ड बनाने पर बल दिया। इसके लिए जनप्रतिनिधि सजग होकर अपने-अपने क्षेत्रों में शत प्रतिशत शौचालय निर्माण कराना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि अच्छे कार्य करने वालों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जायेगा।

उपायुक्त द्वारा प्रखण्ड में जिला जल एवं स्वच्छता के माध्यम से राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित राजमिस्त्रियों को सम्बोधित किया तथा उन्हें अधिकाधिक संख्या में शौचालय निर्माण करने की सलाह दी।

इस प्रखण्ड में अभी तक 200 डोभा का निर्माण किया गया है। उन्होंने डोभा निर्माण करने वालों को बताया कि वृक्षारोपण एवं मछलीपालन हेतु सामग्री उपलब्ध कराई जायेगी। उन्होंने बताया कि डोभा में निश्चित रूप से मेढ़ का निर्माण करें ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो। सभी डोभा का फोटोग्राफ तथा GPS co-ordinate के साथ भेजने का निदेश प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को दिया।

नरेगा योजना अन्तर्गत श्रमिकों का जो भी खाता पोस्ट ऑफिस में संधारित है उसे 15 जुलाई, 2016 तक बैंकों में खोलवाना सुनिश्चित करेंगे। उप विकास आयुक्त ने बताया कि गरसुल्ला पंचायत में 1046, नापोखुर्द में 1234 एवं अन्य पंचायतों में भी श्रमिकों का खाता पोस्ट ऑफिस में संधारित है। उसे निर्धारित तिथि के पूर्व बैंकों में खुलवाना सुनिश्चित करेंगे। प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधि पंचायत सेवक, रोजगार सेवक से समन्वय कर 15 जुलाई, 2016 के पूर्व सभी पोस्ट ऑफिस खाता को बैंक खाता में खोलवाना सुनिश्चित करेंगे। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अभियान चलाकर बैंकों में खाता खुलवाना सुनिश्चित करेंगे।

जनप्रतिनिधियों ने बताया कि Digital signature उन्हें उपलब्ध है परन्तु इसकी पूर्ण जानकारी नहीं है। **प्रखण्ड विकास पदाधिकारी Digital signature हेतु प्रशिक्षण कराना सुनिश्चित करेंगे।**

जनप्रतिनिधियों ने बताया कि मोहगाईकला जलापूर्ति योजना बनकर तैयार है परन्तु उसे प्रारंभ नहीं किया गया है क्योंकि मोटर में एक फेज की विद्युत आपूर्ति है। कनीय अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता इसे तीन फेज कराकर योजना प्रारंभ करना सुनिश्चित करेंगे।

पूर्व प्रमुख ने बताया कि हरहरा नदी पर जलापूर्ति योजना का कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं किया गया। सहायक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता ने बताया कि अभी तक योजना का सीमांकन नहीं किया गया है। सीमांकन हेतु अंचल अधिकारी, बड़कागांव से अनुरोध किया गया है। साथ ही जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणों द्वारा इस योजना का विरोध किया जा रहा है। निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन ने बताया कि यह योजना स्वीकृत है दूसरी योजना की स्वीकृति प्राप्त होने में विलम्ब हो सकता है इसलिए इस योजना का क्रियान्वयन हेतु सभी जनप्रतिनिधि सहयोग करें।

अंचल अधिकारी को दिनांक-02.07.2016 तक योजना का सीमांकन कराते हुए प्रतिवेदन पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। साथ ही यह भी बताया कि यह योजना स्वीकृत है इसलिए इसके निर्माण कार्य में सहयोग करें। यदि दूसरी भी योजना लेनी है तो प्रस्ताव बनाकर भेजना सुनिश्चित करें ताकि उसकी स्वीकृति हेतु कारवाई की जा सके।

अन्त में मुखिया एवं जनप्रतिनिधियों को निदेश दिया गया कि खाद्य सुरक्षा, पेंशन में कोई अयोग्य लाभुक प्रतीत होता है तो उसके रद्द करने हेतु प्रस्ताव प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं जिला मुख्यालय को अवश्य दें।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

उपायुक्त, हजारीबाग

ज्ञापांक 1379 /सी0 दिनांक 01/7/2016

प्रतिलिपि उप विकास आयुक्त, हजारीबाग/निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, हजारीबाग/अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर/जिला परिवहन पदाधिकारी-सह-सहायक नोडल पदाधिकारी, हजारीबाग/सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, हजारीबाग/कार्यपालक अभियंता, असैनिक, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, हजारीबाग/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बड़कागांव/अंचल अधिकारी, बड़कागांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उपायुक्त, हजारीबाग

ज्ञापांक 1379 /सी0 दिनांक 01/7/2016

प्रतिलिपि आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त, हजारीबाग

ज्ञापांक 1379 /सी0 दिनांक 01/7/2016

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव के उप सचिव, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सरकार के प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सरकार के प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त, हजारीबाग